**राजघाट बांध**

199. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल:** क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजघाट बांध की आधारशिला कब और किसके द्वारा रखी गई थी ;

(ख) इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त बांध के निर्माण पर सरकार द्वारा अब तक कुल कितना धन खर्च किया जा चुका है और इसी प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कितना धन खर्च किया गया हैं ; और

(घ) इस बांध का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

**सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :** (क) से (घ) राजघाट बांध, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सयुक्त परियोजना है। इस बांध की आधारशिला अप्रैल, 1973 में प्रधान मंत्री द्वारा रखी गई थी। इस परियोजना को योजना आयोग ने भी 123.22 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर जुलाई, 1980 में स्वीकृति प्रदान कर दी थी। पहुंच मार्ग, कालोनी भवन जैसी अवसंरचनाएं पूरी हो चुकी हैं। चिनाई बांध की 538.5 मीटर की पूरी लम्बाई तक नींव साफ कर दी गई है तथा कुल 31 ब्लाकों में से 27 ब्लाकों में चिनाई कार्य चल रहा है। 10.9 किलोमीटर लम्बे मिट्टी के बांध में से 7 किलोमीटर लम्बाई पर कार्य चल रहा है।

इस परियोजना पर मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश द्वारा बराबर-बराबर खर्च किया जा रहा है। मार्च, 1984 तक लगभग 53 करोड़ रुपये व्यय हुआ है। मार्च, 1984 तक मध्य प्रदेश का अंशदान 22.87 करोड़ रुपये तथा उत्तर प्रदेश का अंशदान 30.97 करोड़ रुपये है।

इस बांध के जून, 1986 तक लगभग पूरा हो जाने की संभावना है बशर्ते कि राज्यों द्वारा पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाए

**5—Point Strategy to discourage migration of Doctors**

200. SHRIMATI MONIKA DAS:

SHRIMATI MAIMOONA SULTAN:

SHRI NARENDRA SINGH:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) what steps have been taken in pursuance of the 5-point strategy initiated to discourage migration of doctors and other medical manpower to other countries;

(b) what is the allocation of funds with respect to schemes contemplated under the 5 point strategy for the year 1984-85; and

(c) what specific steps are proposed to be taken to provide remunerative and better opportunities for employment and research for the doctors within the country?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND): (a) to (c) The following steps have been taken to discourage the migration of medical manpower to foreign countries;

(i) restrictions have been placed on medical graduates going abroad for higher education and training where

training facilities exist in the country. Doctors belonging to scarce categories are not sponsored for employment abroad;

(ii) advance increaments are granted to specially qualified candidates on the recommendations of the State and Central Public Service Commission;

(iii) improvements in the service conditions of doctors, particularly those serving in the rural areas, have been brought about by the State and U.T. Governments;

(iv) A scheme has been launched to secure the community orientation of medical education with emphasis on the preventive, promotive, curative and rehabilitative aspects of health care services, to orient the doctors for service in the rural areas;

(v) arrangements have been made for holding of the prestigious membership examinations by the National Board of Examinations, which correspond to foreign qualifications e.g. F.R.C.S. M.R.C.P. etc.

**टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी, जमशेदपुर को रेलवे वैगनों का आवंटन**

201. **श्री हुकमदेव नारायण यादव :** क्या रेल मंत्री 14 मार्च, 1984 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1773 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1981 से जनवरी-फरवरी 1984 तक टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, जमशेदपुर को जितने वैगन दिये गये थे उससे कम वैगनों पर लदाई की गई थी ;

(ख) यदि हाँ, तो उन्हें दिये जाने वाले वैगनों की संख्या में हर साल वृद्धि करने के क्या कारण हैं ;

(ग) खाली वैगनों की वापसी से रेलवे को हुई हानि का ब्यौरा क्या है और क्या हानि को कम्पनी से वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या यह सच है कि 1978-79 और 1979-80 में एक मुकदमा दायर किया गया था कि भरे हुए वैगनों को खाली दिखाकर करोड़ों रुपये का गोलमाल किया गया था, यदि हां, तो उस मुकदमें का अंतिम फैसला क्या हुआ ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) :** (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस्पात संयंत्रों के यातायात के लिए विभिन्न प्रकार के माल डिब्बों का उपयोग किया जाता है, कुछ प्रकार के माल डिब्बे कच्चे माल की ढुलाई तथा अन्य प्रकार के माल डिब्बे इस्पात संयंत्रों के बाहर भेजे जाने वाले तैयार माल के लिए उपयोग में लाये जाते हैं। कच्चे माल के लिए जो माल डिब्बे सामान्यतः टाटा आयरन एंड स्टील कं० में भेजे जाते हैं। उनमें बी ओ एक्स टाइप के माल डिब्बे और बी ओ बी एक्स टाइप के माल डिब्बे होते हैं। अधिकतर मामलों में बी ओ एक्स टाइप के माल डिब्बे लट्ठों आदि से भर कर लौटाए जाते हैं, बी ओ बी एक्स माल डिब्बे खाली लौटाये जाते हैं क्योंकि ये माल डिब्बे तल निकासी वाले होते हैं और इनमें तैयार इस्पात उत्पाद का लदान नहीं किया जा सकता। किन्तु बी ओ एक्स टाइप के माल डिब्बों के अलावा बी एक्स आर आदि जैसे अन्य प्रकार के माल डिब्बों की आवश्यकता स्टील की चदरों, रेल पटरियों, सरियों, छड़ों, लौहपिंडों आदि के लिए पड़ती है। इस लिए, इस्पात संयंत्रों से बाहर भेजे जाने के लिए कभी-कभी उत्पादन की किस्म पर आधारित होती है, और ऐसे उत्पादों के